संख्या-58 /2020/3451/71-2-2020-के0एस0-01/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 एवं अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु आगामी किश्त की धनरशि अवमुक्त किया जाना ।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः-एफओ/सीआई/34/44/2020, दिनांक 10-08-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपदलखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल, सी0जी0 सिटी लखनऊ की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-726/71-2-15-के0एस0-1/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा मूल परियोजना की लागत रू0 854.5145 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 80528.44 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत कुल रू0 60436.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रू0 6896.885 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 67332.885 लाख की निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है:-

| क्र0 | शासनादेश/दिनांक | अनुदान संख्या | निर्गत धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 1391/71-2-2014-केएस0-01/2014, दि0-15.07.2014 | अनुदान संख्या-31 | 700.00 |
| 2. | 38/2015/1128/71-2-2015-के0एस0-01/2014, दि0 30.03.2015 | अनुदान संख्या-31 | 3118.50 |
| 3. | 86/2015/3961/71-2-2015-के0एस0-01/2014,दि0 20.10.2015 | अनुदान संख्या-31 | 21078.05 |
| 4. | 121/2016/4079/71-2-16-के0एस0-01/2014 दिनांक 13.10.2016 | अनुदान संख्या-31 | 18939.45 |
| 5. | 87/2017/5857/71-2-17-के0एस0-01/2014 दिनांक 15.12.2017 | अनुदान संख्या-31 | 3750.00 |
| 6. | 36/2018/949/71-2-18-के0एस0-01/2014 दिनांक | अनुदान संख्या-31 | 3750.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 08.03.2018 | | |
| **7.** | 114/2018/2309/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दि0 20.08.2018 | अनुदान संख्या-31 | 100.00 |
| **8.** | 41/2019/925/71-2-2019-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 03.05.2019 | अनुदान संख्या-31 | 5000.00 |
| **9.** | 2381/71-2-2019-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 30.09.2019 | अनुदान संख्या-31 | 4000.00 |
| | | **योग-** | **60436.00** |
| **10.** | 1146/71-2-2015-के0एस0-01/2014 दिनांक 31.03.2015 | अनुदान संख्या-83 | 654.885 |
| **11.** | 87/2015/3962/71-2-15-के0एस0-01/2014 दिनांक 29.10.2015 | अनुदान संख्या-83 | 1060.50 |
| **12.** | 122/2016/4175/71-2-16-के0एस0-01/2014 दिनांक 13.10.2016 | अनुदान संख्या-83 | 1060.50 |
| **13.** | 88/2017/5885/71-2-17-के0एस0-01/2014 दिनांक 15.12.2017 | अनुदान संख्या-83 | 787.50 |
| **14.** | 37/2018/953/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दिनांक 08.03.2018 | अनुदान संख्या-83 | 273.00 |
| **15.** | 115/2018/2156/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दि0 20.08.2018 | अनुदान संख्या-83 | 1060.50 |
| **16.** | 28/2019/364/71-2-19-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 12.03.2019 | अनुदान संख्या-83 | 1000.00 |
| **17.** | 40/2019/894/71-2-2019-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 03.05.2019 | अनुदान संख्या-83 | 500.00 |
| **18.** | 2378/71-2-2019-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 30.09.2019 | अनुदान संख्या-83 | 500.00 |
| | | योग- | **6896.885** |
| | | **कुल योग-(31+83)** | **67332.885** |

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुपर स्पेशियलिटी कैसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, लखनऊ के भवन निर्माण की पुनरीक्षित लागत रू0 80528.44 लाख के सापेक्ष सुपर स्पेशियलिटी कैसर संस्थान एवं हास्पिटल, लखनऊ के 24-बृहत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1000.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 1060.50 लाख के सापेक्ष रू0 500.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1500.00 लाख ( रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(4) धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों मे आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखी जायेगी।

(5) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार किया जाय।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के प्रतिबन्धों/दिशा- निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्था के वित्त नियंत्रक का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

(9) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(10) प्रायोजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26.02.2015 की शर्ते यथावत रहेगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान लखनऊ-24-वृहद निर्माण कार्य से रू0 1000.00 लाख तथा अनुदान संख्या- 083- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहद निर्माण कार्य से रू0 500.00 लाख (अर्थात कुल रू0 1500.00 लाख मात्र) के नामे डाला जायेगा ''।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/780/दस-2020, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

( डा0 रजनीश दुबे )
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-58 /2020/3451(1)/71-2-20-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( कुलदीप कुमार रस्तोगी )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।